न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-202/2015

202/2015

1-प्रकाश पुत्र मनोहर) जाति गूर्जर निवासी झडाया नगर पचलंगी तहसील
2-रामेश्वर पुत्र फूलाराम) उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्टस---

--बनाम--

1- सुलतान पुत्र
2- खयालीराम पुत्र
3- महेन्द्रसिंह पुत्र
4- ग्यारसीदेवी पत्नी
5- मोहनी पुत्री

) जमनाराम जाति गूर्जर निवासी झडाया नगर पंचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

6- जग्गीराम पुत्र
7- झाबर पुत्र
8- हजारी पुत्र
9- धापली बेवा
10-बिदामी पुत्री
11-रामेश्वरी पुत्री
12-कमला पुत्री
13-छोटी पुत्री
14-राजू पुत्री

) श्योचन्द जाति गूर्जर निवासी झडाया नगर पंचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

15-राजेन्द्र पुत्र
16-धोली पुत्री
17- हीरा पुत्री
18-किरण पुत्री

) मनोहर जाति गूर्जर निवासी झडाया नगर पंचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... अधिकारी सीकर

19- दाताराम पुत्र श्योकरण

20- कृष्ण पुत्र श्योकरण

21- संतु पुत्र हनुमान

22- बसन्ती पुत्री हनुमान

23- सरदाराराम पुत्र नारायणराम

24- नानूडी पत्नी नारायणराम

25- प्रभात पुत्र मालाराम

26- सीताराम पुत्र मालाराम

27- चुनाराम पुत्र मालाराम

28- धुडाराम पुत्र मालाराम

29- छितरमल पुत्र भागीरथ

30- गोकुल पुत्र भागीरथ

31- रामनिवास पुत्र भागीरथ

32- श्रवणी देवी बेवा भागीरथ

33- सरबती पुत्री भागीरथ

34- सज्जना पुत्री भागीरथ

35- मूलीदेवी पुत्री भागीरथ

36- नेकीराम पुत्र फूलचन्द

37- मदन पुत्र फूलचन्द

38- शीशाराम पुत्र फूलचन्द

39- सुमित्रा पुत्री फूलचन्द

40- बरजीदेवी पत्नी फूलचन्द

41- पूर्णमल पुत्र प्रभाती
42- कैलाश पुत्र प्रभाती
43- प्रहलाद पुत्र प्रभाती
44- धोल पुत्र प्रभाती
45- श्रवण पुत्र प्रभाती
46- मुकेश पुत्र प्रभाती
47- बिदामी पुत्री प्रभाती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

48- लोडी पुत्री प्रभाती

49- भोली पुत्री प्रभाती

50- जडाव पुत्री प्रभाती

51- मेवा पुत्री प्रभाती

समस्त जाति गूर्जर निवासी झडाया नगर पंचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 20-6-2013 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री इन्द्रजीत शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री अरविन्द सैनी एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 15.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/ रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 5 के पिता/पति एवं रेस्पोडेन्ट संख्या- 6 से 14 ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ व बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 11 स्वर्गीय गिदाराम के वारिस है । जिसमें गिदाराम के चार पुत्र नारायण हणमान श्योचन्द एवं जमनाराम पुत्र हुये । जिनका गिदाराम की आराजी में 1/4, 1/4 हिस्सा था । जिसमें वादी संख्या-1 जमना राम जिन्दा है तथा वादी संख्या-2 से 10 श्योचन्द के वारिसान है तथा हणमान के वारिस प्रतिवादी सं0-1 से 8 है तथा नारायण के वारिस प्रतिवादी सं0-9, 10 11 हैं ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

ग्राम पंचलंगी में आराजी खाता सं0- 366 के ख0नं0 3253 रकबा 0.56 ह हैक्टर, ख0नं0 3254 रकबा 0.54 हैक्टर, ख0नं0 3470/3 रकबा 0.07 हैक्टर, ख0नं0 3472 रकबा 0.27 हैक्टर, ख0नं0 3473 रकबा0.28 हैक्टर ख0नं0 3474 रकबा 0.56 हैक्टर कुल रकबा 2.28 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा गीदाराम का था । खाता संख्या- 367 में ख0नं0 4090/3105 रकबा 0.29 हैक्टर, ख0नं04093/1972 रकबा 0.91 हैक्टर, ख0नं0 4092/1975 रकबा 0.25 हैक्टर व ख0नं0 4095/1976 रकबा 0.46 हैक्टर, 4096/3803 रकबा 0.32 हैक्टर, ख0नं0 4092/3804 रकबा 0.41 हैक्टर कुल तादादी 3.48 हैक्टर वादीगण के पूर्वज गीबाराम की खातेदारी में दर्ज रही है। खाता सं0- 365 में ख0नं0 3211 रकबा 0.18 हैक्टर, ख0नं-3212 रकबा 0.18 हैक्टर, ख0नं0 3213 रकबा 0.22 हैक्टर, ख0नं0 3214 रकबा 0.35 हैक्टर, ख0नं0 3215 रकबा 0.35 हैक्टर, ख0नं0 3218 रकबा 0.34 हैक्टर, ख0नं0 3219 रकबा 0.07 हैक्टर, ख0नं0 3220 रकबा 0.08 हैक्टर, ख0नं0 3221 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0नं0 3222 रकबा 0.33 हैक्टर, ख0नं0 4064/3222 रकबा 0.41 हैक्टर कुल किता-11 रकबा 2.65 हैक्टर में 1/2 हिस्सा गिदाराम का था ।इस में 1/4 हिस्सा जमना व 1/4 श्योचन्द काश्त करता था ।यह जमीन वादीगण की है । खाता सं0-249 ~~ख0नं0~~ खसरा नं0 3194 रकबा 1.33 हैक्टर, ख0नं0 3196 रकबा 0.43 हैक्टर, ख0नं03197 रकबा 0.15 हैक्टर, ख0नं0 3198 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0नं0 3199 रकबा 0.29 हैक्टर, ख0नं0 3200 रकबा 0.60 हैक्टर, ख0नं0 3201 रकबा 0.71 हैक्टर, ख0नं0 3235 रकबा 0.63 हैक्टर,खनं0 3240 रकबा 0.65 हैक्टर ख0नं0 4312 रकबा 3193 रकबा 0.13 हैक्टर कुल किता-10 रकबा 5.06 हैक्टर में गीदाराम का 1/2 हिस्सा था जिसमें गीदाराम के चारो पुत्रों का बराबर बराबर हक हिस्सा था । खाता संख्या- 381 में ख0नं0 3159 रकबा 0.58 हैक्टर, ख0नं0 3172 रकबा 0.56 हैक्टर, ख0नं0 3173 रकबा 0.23 हैक्टर, ख0नं0 3174 रकबा 0.16 हैक्टर, ख0नं0 3175 रकबा 0.54 हैक्टर, ख0नं0 3176 रकबा 0.35 हैक्टर ख0नं0 3177 रकबा 0.34 हैक्टर, ख0नं0 3178 रकबा 0.37 हैक्टर, ख0नं0 3193 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता-7 रकबा 3.39 हैक्टर में से

गीदाराम का 1/3 हिस्सा था जिस पर अकेले हणमान का कब्जा काश्त रहा । खाता संख्या- 250 में ख0नं0 3223 से 3234, 3236 से 3239, 3241, 3242, 3246 3248, 3249, 4063/3241 कुल रकबा 6.55 हैक्टर में गीदाराम का 1/3 हिस्सा था । जिसमें गीदाराम के चारो पुत्रों का बराबर बराबर हिस्सा है ।

उपरोक्त विवादित आराजी गीदाराम की स्वामीत्व की थी जो वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 11 की पैत्रिक भूमि है ।गीदाराम का पुत्र जमना जिन्दा है जिसका 1/4 हिस्सा शेष तीनों पुत्रों का देहान्त हो गया । जिनके वारिस अपने अपने 1/4 , 1/4 हिस्से पर काबिज काश्तकार है । विवादित आराजी का मौके पर बंटवारा किया हुआ है । किन्तु उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड अकेले हणमान व नारायणराम के नाम से आ गया । किन्तु मौके पर गीदाराम के चारों पुत्रों का 1/4, 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त है। अपने अपने हिस्से में मकान बना रखे है तथा चाह बना रखे हैं । यह दावा भविष्य में झगड़ा नहीं हो इस कारण पेश किया जिस में प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया जिसके आधार पर अदालत मातहत ने दावा मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर डिक्री कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।योग्य अदालत मातहत में वादीगण ने दावा घोषणार्थ एवं विभाजन का पेश किया जिसमें तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने आदेश दिनांक 20-6-2013 को पारित किया है किन्तु उक्त वाद में प्रतिवादी सं0-2 फूलचन्द पुत्र हणमान का देहान्त दिनांक 12-01-2012, प्रतिवादी सं0- 7 भागीरथ पुत्र हणमान का देहान्त दिनांक 24-2-2009 को हो गया जिनके विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जाकर मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो शून्य है । छोटी पत्नी हणमान का देहान्त भी सन् 2000 से पूर्व ही हो चुका, प्रभाती का देहान्त सन् 1995 में ही गया जिनके भी वारिसों को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया । तथा राजीनामा वादीगण जमनाराम, जागीराम झाबर, हजारी छापली बिदामी रामेश्वरी छोटी राज की तरफ से पेश किया जाना

बताया किन्तु इस राजीनामा पर केवल झाबर को छोडकर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है । केवल वकील विधाधर के हस्ताक्षर है ।वकील किसी भी पक्षकार की अनु--पस्थिति मे राजीनामा नहीं कर सकता । रेस्पोडेन्ट/वादीगण ने प्रतिवादी के फर्जी हस्ताक्षर कर अदालत मातहत में राजीनामा पेश किया है। तथा प्रतिवादीगण की पहचान भी उनके ही वकील द्वारा की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत में पेश राजीनामा कूटरचित है जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्टस् ने एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 420,406,467, 468,471,120 बी आई0पी0सी0 के तहत 156॥3॥ सी0आर0पी0सी0 के तहत पुलिस थाना उदयपुरवाटी में भेजा गया जो जेर अनुशंधान है। इस प्रकार वादीगण द्वारा सारी कार्यवाही अवैधानिक तरीके से की गई है । उक्त अवैधानिक तरीके से की गई कार्यवाही के आधार पर पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 7-10-2015 को जब हुई तब रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी पर कब्जा करने आये तथा लडाई झगड़ा करने लगे तथा इस आराजी की खातेदारी अपने नाम करवा ली गई की धमकी दी । जिस पर अपीलान्ट ने अदालत मातहत से सम्पूर्ण पत्रावली की नकल का आवेदन दिनांक 8-10-15 को पेश किया जिस पर नकल 9-10-2015 को प्राप्त हुई। जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्ट की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत मे अपीलान्ट ने कोई राजीनामा नहीं किया है अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं ।जिसके सन्दर्भ में अपीलान्ट ने वादीगण के विरूद्व पुलिस थाना उदयपुरवाटी में इस्तगासा किया है जिसकी कार्यवाही अभी विचाराधीन है । अदालत मातहत ने राजीनामा को भी सही तरीके से नहीं देखा अपीलान्ट की पहचान वादी के वकील ने ही पहचान की है जबकि कानूनन वादी का वकील प्रतिवादीगण की पहचान नहीं कर सकता ।निर्णय से पूर्व फूलचन्द, भागीरथ छोटी एवं प्रभाती का देहान्त हो चुका जिनके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिये

बिना अपना आदेश पारित किया है जो शुरू से ही शून्य प्रभावी है ।दांवा बंटवारा का है जिसमें तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है जिसको बिना पक्षकार बनाये दावा पेश किया जिस पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अपीलान्ट द्वारा कोई राजीनामा पेश नही किया । बल्कि अपीलान्ट की तामिल भी नही करवाई गई । बिना विधिक तामिल करवाये ही आदेश पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को शुरू मे जानकारी नही रही । रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई जिस पर प्रकरण में अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है । अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस मैं कथन किया कि विवादित आराजी गीदाराम की खातेदारी की रही है । जिसके 4 पुत्र है । जिसमें वादी/रेस्पो० सं०-1 से 5 का पति/पिता जगनाराम तथा वादी सं०-2 से 14 का पिता/पति शयोचन्द हणमान व नारायण पुत्र हुये । यह स्वीकृत तथ्य है । विवादित भूमि में चारों पुत्रों का बराबर बराबर 1/4, 1/4 हक हिस्सा है और उसी के अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं । इस आराजी का काफी वर्षों पूर्व ही मौके पर पक्षकारों के मध्य बंटवारा हो चुका जिसकी नींव सीवं अलग अलग कायम है तथा पक्षकारों ने अपने अपने हिस्से में अलग अलग मकान बना रखें है तथा अपने अलग अलग चाह बना रखे । इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी को गीदा राम के पुत्रों ने अलग अलग अपने अपने हिस्सेनुसार बांटकर मौके पर काबिज है । अपीलान्ट संख्या -1 प्रकाश ने स्वयं ने राजीनामा किया है । अदालत मातहत में हाजिर रहा है ।राजीनामा पर हस्ताक्षर है ।अपीलान्ट ने राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील पेश की है जो इस न्यायालय पोषणीय ही नहीं है । अर्थात राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई अपील नहीं की जा सकती। अपीलान्ट संख्या-1 अपने द्वारा किये गये राजीनामा से पाबन्द है । तथा अपीलान्ट संख्या-2 अदालत मातहत में पक्षकार

-2 ने अपील बिना धारा-96 सीपीसी के पेश की है जो अपील पेश करने से पूर्व अपील पेश करने की अनुमति का पेश किया जाना आवश्यक था । इस कारण अपीलान्ट संख्या-1 व 2 की अपील इस न्यायालय में किसी भी स्थिति में पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे । गुणावगुण के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी गीदाराम की खातेदारी की थी जो पक्षकारों की पैतृक भूमि है जिसमें गीदा के चारों पुत्रों का 1/4, 1/4 हिस्सा है । केवल हणमान व नारायण परिवार में बडे एवं कर्त्ता खानदान होने से उनके नाम हो गई जो गलत है । जिसको दुरूस्त कराने का वादीगण को अधिकार था । अदालत मातहत ने सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर अपना निर्णय दिया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है ।अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।प्रकरण में दिनांक 23-3-2009 को अपीलान्ट ~~ए~~ संख्या-1 प्रकाश द्वारा राजीनामा किया गया । राजीनामा अदालत मातहत द्वारा तस्दीक किया गया है ।तथा अपीलान्ट सखया-1 प्रकाश पुत्र मनोहरराम ने दिनांक 30-7-2009 को एक शपथ पत्र पेश कर इस आराजी में वादीगण का कब्जा काश्त स्वीकार किया है तथा शपथ पत्र के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट संख्या-1 अपने राजीनामा के बाद में शपथ पत्र भी पेश किया है । जिसके आधार पर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट संख्या-1 ने जब राजीनामा कर लिया तो वह धारा-96(3) पक्षकारो की सहमति से जो डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी ।" अपीलान्ट संख्या-1 अपने द्वारा किये गये राजीनामा के अनुसार धारा 96(3) सीपीसी के अनुसार यह अपील पेश करने का किसी भी स्तर पर अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत ने राजीनामा के आधार पर निर्णय किया है । इस कारण अपीलान्ट संख्या-1 को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या-2 रामेश्वर पुत्र फूलाराम अदालत मातहत में पक्षकार नहीं है और अपीलान्ट जब अदालत मातहत में पक्षकार

साथ अपील पेश करने की इजाजत लेकर अपील पेश करनी चाहिये थी किन्तु अपीलान्ट संख्या-2 ने अपील के साथ धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । इस कारण अपीलान्ट संख्या-2 की अपील भी पोषणीय नहीं है । अपीलान्ट संख्या-1 का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया । इस सम्बन्ध में अपीलान्ट संख्या-1 द्वारा शपथ पत्र योग्य अदालत मातहत में पेश किया है जिसमें विवादित आराजी पर वादीगण अपने हिस्सेनुसार काबिज हैं दर्ज किया है । इस कारण अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ।तथा अपीलान्ट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है किन्तु हम प्रकरण का किसी कानूनी बिन्दू पर निर्णय न कर गुणावगुण पर किया उचित मानते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार किया गया है ।साथ ही वादीगण/रेस्पोडेन्टस का विवादित आराजी में अपीलान्ट संख्या-1 ने शपथ पत्र एवं राजीनामा में कब्जा काश्त स्वीकार किया है । अदालत मातहत ने सभी तथ्यो पर गौर करने के बाद अपना निर्णय दिया है जो विधि संगत है। अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय एवं डिक्री दि0 20-6-2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.2.2018 को सुनाया गया ।

15/2/18

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवरलाल मेहरडा RAS

1- प्रकाश पुत्र मनोहर जाति गुर्जर निवासी झडाया नगर पचलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू आदि

--अपीलान्टस--

--बनाम--

1- सुलतान पुत्र जमनाराम जाति गूर्जर निवासी झडाया नगर पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू । आदि

नोट -उनवान संलग्न है

--रेस्पोडेन्टस--

अपील नम्बर 202 सन् 2015 बनाराजगी डिक्री अदालत उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

मुकाम - दिनांक 20 माह 6 सन् 2013

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख .... हब्स हमारे व हाजिर श्री इन्द्रजीत शर्मा .... मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री अरविन्द सैनी ए मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20-6-2013 यथावत रखा जाता है ।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग ....xxx.................... रुपये अदा करें।
खर्चा मुकदमा मातहत का ....xxx................. रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख .... को जारी की गई।

दस्तखत -
ओहदा - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी

अपीलार्थीगण	रुपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रुपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	
योग		योग	